Report and Accounts (1994-95) of the Hindustan Vegetable Oils Corporation Limited, New Delhi and related papers.

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रह्लाद यादव): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

I. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) 1994-95 के वर्ष के लिए हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन, और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सहित।

(ii) उपर्युक्त कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

II. ऊपर (I) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)। [पुस्तकालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल०टी० 1687/97].

I. Report and Accounts (1995-96) of the Hindustan Anti-biotics Limited, Pimpri Pune and related Papers.

II. Report and Accounts (1991-92 to 1993-94) of the national Institute of Pharmaceutical Education and Research, S.A.S. Nagar (Punjab) and related papers.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीशराम ओला): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

I. (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) 1995-96 के वर्ष के लिए हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, पुणे का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ii) उपर्युक्त कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)। [पुस्तकालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी० 1696/97]

II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) (क) 1991-92 के वर्ष के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल एज्यूकेशन एंड रिसर्च, एस०ए०एस० नगर (पंजाब) का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन, और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) ऊपर (i) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल०टी० 1792/97].

(ग) 1992-93 के वर्ष के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल एज्यूकेशन एंड रिसर्च, एस०ए०एस० नगर (पंजाब) का दूसरा वार्षिक प्रतिवेदन, और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(घ) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण। (पुस्तकालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल०टी० 1793/97].

(ii) (क) 1993-94 के वर्ष के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल एज्यूकेशन एंड रिसर्च, एस०ए०एस० नगर (पंजाब) का तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन, और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के

कारणों को दर्शाने वाला विवरण। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1794/97].

Notifications of the Ministry of Railways (Railway Board)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): Madam. I lay on the Table—

(1) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Railways (Railway Board). Notification G.S.R. No. 59(E), dated the 6th February, 1997, publishing the Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 1997, under sub-section (3) of Section 30 of the railway Claims Tribunal Act, 1987. [Placed in library. *See* No. L.T. 1737/97]

(ii) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Railways (Railway Board), Notification G.S.R. No. 45(E), dated the 30th January, 1997, publishing the Railway Protection Force (Amendment) Rules, 1997, under sub-section (3) of Section 21 of the Railway Protection Force Act, 1957. [Placed in library. *See* No. L.T. 1738/97].

I. Notification of the Indira Gandhi National Open University.

II. Reports and Accounts (1994-95 and 1995-96) of the various Educational Institutions and related Papers.

SHRI S. R. BOMMAI: Madam, I lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Indira Gandhi National Open University, Notification G.S.R. No. 439, dated the 12th October, 1996, publishing the Ordinance on Research Degree Programmes, under sub-section (2) of Section 40 of the Indira Gandhi Open University Act, 1985. [Placed in library. *See* No. L.T. 1776/97].

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(i) (a) Annual Report and Accounts of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi, for the year 1994-95, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Statement by Government accepting the above Report.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in library. *See* No. L.T. 1778/97].

(iii) (a) Annual Accounts of the Indira Gandhi National Open University, New Delhi, for the year 1994-95 and the Audit Report thereon.

(b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in library. *See* L.T. No. 1775/97].

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the Maharashtra Prathmik Shikshan Parishad, Bombay, for the year 1995-96, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(b) Review by Government on the working of the above Parishad.

(c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in library. *See* No. L.T. 1796/97]

(iv) (a) Twenty-sixth Annual Report of the Jawaharlal Nehru University, New Delhi, for the year 1995-96.

(b) Review by Government on the working of the above University.

---

* The Annual Reports and Accounts were laid on the table of the Rajya Sabha on the 14th March. 1997.